(12)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 3766–तीन/2013 विरूद्ध आदेश दिनांक 01–12–2011 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा प्रकरण कमांक निगरानी 534/अ–3/2008–09

मुस0पूनाबाई पत्नी हलका
निवासी ग्राम मारोखैरा मजरा बमनौराकलॉ
तहसील धुवारा छतरपुर
जिला छतरपुर म0प्र0

..... आवेदिका

विरूद्ध

1–कन्हैयालाल बल्द रामचरण यादव
2–पुनियाबाई पत्नी हलका यादव
3–मूलचन्द तनय दमरू यादव
निवासीगण ग्राम मारोखैरा मजरा बमनौराकलॉ
तहसील धुवारा जिला छतरपुर

..... अनावेदकगण

.....

श्री के0के0द्विवेदी, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री बृजेन्द्रसिंह धाकड़, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1 व 2
श्री दिवाकर दीक्षित, अभिभाषक अनावेदक कमांक 3

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 3/2/15 को पारित)

यह निगरानी आवेदिका द्वारा भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे केवल संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर द्वारा पारित आदेश दिनांक 01–12–2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक कन्हैया द्वारा तहसीलदार धुवारा के समक्ष इस आशय का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया कि वादित भूमि खसरा नम्बर 3194/2 रकबा 0.032 हैक्टर स्थित ग्राम बमनौरा कलॉ उसके नाम भूमिस्वामी स्वत्व पर दर्ज है । विवादित भूमि सीमा में लाल स्याही से तरमीम नहीं है जो की जाये । इस पर से तहसीलदार द्वारा प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की गई तथा

न्यायालयीन प्रकरण कमांक 84/अ–3/07–08 में पारित आदेश दिनांक 16–1–09 द्वारा राजस्व निरीक्षक के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुये नक्शे में लाल स्याही से तरमीम दर्ज करने का आदेश दिया । इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक द्वारा अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 87/अ–3/08–09 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 16–2–2009 द्वारा तहसीलदार का आदेश निरस्त किया व दिनांक 15–1–2009 की स्थिति के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा की स्थिति रखने का आदेश दिया । अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 16–2–09 से दुखित होकर निगरानी अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत की गई जो प्रकरण कमांक 534/अ–3/2008–09 पर दर्ज की जाकर विचाराधीन पारित आदेश दिनांक 1–12–2011 से निगरानी निरस्त की गई । अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश दिनांक 1–12–2011 से व्यथित होकर आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के अभिभाषक द्वारा तर्को में मुख्य रूप से यह बताया कि तहसीलदार धुवारा के समक्ष अनावेदक कमांक 1 द्वारा तरमीम के संबंध में जो आवेदन दिया उसकी विधिवत् जॉच की जाकर राजस्व निरीक्षक द्वारा तरमीम प्रस्ताव तहसीलदार को प्रस्तुत किया जिस पर विधिवत् विचार करने व उभयपक्षों को सुनवाई का पर्याप्त अवसर दिये जाने के बाद तहसीलदार द्वारा तरमीम आदेश पारित किया है। ऐसे विधिवत् आदेश को बिना किसी कारण के अपास्त करने में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा वैधानिक त्रुटियॉ की है । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण में आदेश पारित करने से पूर्व आवेदिका को सूचना सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई अवसर नहीं दिया गया बल्कि तरमीम आदेश मात्र इस आधार पर अमान्य किया कि भूमि के सीमांकन की कार्यवाही नहीं की गई है इसलिये तरमीम प्रस्ताव एवं आदेश वैधानिक नहीं है जबकि वास्तविकता यह है कि तरमीम आदेश पारित करने से पूर्व सीमांकन की कोई आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि तरमीम प्रस्ताव अप्रत्यक्ष रूप से सीमांकन है किन्तु उपरोक्त वैधानिक स्थिति को नजर अन्दाज कर जो आदेश अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा पारित किया गया है वह अनुचित है । अपर कलेक्टर के आदेश

को अपर आयुक्त द्वारा स्थिर रखने में अधिकारिता रहित कार्यवाही की है, जो स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है । अंत में आवेदक अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया कि अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त किया जाकर व तहसीलदार द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाकर निगरानी स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया है।

4/ अनावेदकगण के अधिवक्तागण द्वारा अपने तर्क में यही कहा कि अपर कलेक्टर व अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत होने से स्थिर रखे जाकर निगरानी खारिज की जाये व अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किये जाने का अनुरोध किया ।

5/ मैंने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश का सूक्ष्मता से अध्ययन किया गया । अधीनस्थ दोनों न्यायालयों – अपर कलेक्टर तथा अपर आयुक्त ने इस आधार पर कि सीमांकन नहीं किया गया, तहसीलदार की तरमीम की कार्यवाही को निरस्त किया गया है । भू–अभिलेखों को अद्यतन रखना पक्षकारों के साथ ही राजस्व अधिकारियों का भी उत्तरदायित्व है । इस प्रकरण में खसरा नम्बर 3194 के बटे नम्बर 3194/1 तथा 3194/2 तो कायम किये गये लेकिन नक्शे पर उन्हें पृथक–पृथक अंकित नहीं किया गया । जबकि दोनों पक्षों ने इसके लिये तहसीलदार को आवेदन भी दिये थे । लेकिन निगरानी में आदेश करते समय दोनों अधीनस्थ अधिकारियों ने इस उत्तरदायित्व पर ध्यान न देते हुये कार्यवाही ही समाप्त कर दी। ऐसी स्थिति में यहनिगरानी अंशतः स्वीकार की जाती है। प्रकरण तहसीलदार को इन निर्देशों के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह उभयपक्षों को सुनकर सीमांकन कराकर दोनों पक्षों के हिस्से का स्पष्ट निर्धारण कर नक्शे पर तरमीम की कार्यवाही करें ।

(मनोज गोयल)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर